

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2118
सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक)

रोजगार सृजन के लिए योजनाएं

2118. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में रोजगार सृजन के लिए चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या ये योजनाएं लोगों को रोजगार प्रदान करने में सहायक हैं;
- (ग) यदि हां, तो संभाजी नगर (औरंगाबाद) और दादरा और नगर हवेली सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) इन योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) शिक्षा पूरी करने के पश्चात् इन योजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विशेषकर संभाजी नगर (औरंगाबाद) तथा दादरा और नगर हवेली में रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(ए) से (ई): रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता (नियोजनीयता) में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार देश भर में महाराष्ट्र राज्य सहित के लिए विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/ कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इन रोजगार सृजन योजनाओं/ कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एस.टी.टी.) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आर.पी.एल.) के माध्यम से कौशल उन्नयन और पुनः कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एम.एस.डी.ई.) विशेष रूप से अपनी प्रमुख योजना, वर्ष 2015 से, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.), कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है, ताकि देश भर के युवाओं को शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग (एसटीटी) और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) के माध्यम से अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

पीएमकेवीवाई के तहत 2015 से 31.10.2024 तक 1.57 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 24.37 लाख उम्मीदवारों की नियुक्ति दर्ज की गई है। 31.10.2024 तक महाराष्ट्र राज्य और दादरा और नगर हवेली सहित प्रशिक्षित और रिपोर्ट किए गए उम्मीदवारों की राज्यवार संख्या अनुबंध-1 और ॥ में दी गई है।

लोक सभा के दिनांक 09.12.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2118 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित एवं नियोजित अभ्यर्थियों की राज्यवार संख्या विकास योजना (पीएमकेवीवाई) (31.10.2024 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशिक्षित / उन्मुख	अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की सूचना दी*
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5,431	124
2	आंध्र प्रदेश	5,15,400	1,11,640
3	अरुणाचल प्रदेश	97,057	14,014
4	असम	8,24,314	67,257
5	बिहार	7,23,547	1,27,855
6	चंडीगढ़	27,818	6,361
7	छत्तीसगढ़	1,99,419	28,142
8	दिल्ली	5,20,285	78,349
9	गोवा	10,386	1,105
10	गुजरात	4,67,349	69,289
11	हरियाणा	7,29,617	1,58,981
12	हिमाचल प्रदेश	1,66,785	27,185
13	जम्मू और कश्मीर	4,12,380	53,656
14	झारखंड	3,07,766	29,461
15	कर्नाटक	5,65,277	74,225
16	केरल	2,71,242	26,385
17	लद्दाख	4,047	1,063
18	लक्षद्वीप	390	0
19	मध्य प्रदेश	11,37,814	2,21,845
20	महाराष्ट्र	13,05,040	80,950
21	मणिपुर	1,05,596	16,094
22	मेघालय	56,924	13,608
23	मिजोरम	40,359	9,682
24	नागालैंड	51,320	6,181
25	ओडिशा	5,96,273	71,066
26	पुडुचेरी	33,608	10,504
27	पंजाब	5,35,986	1,28,913
28	राजस्थान	13,33,015	1,86,018
29	सिक्किम	19,041	3,942
30	तमिलनाडु	8,52,858	1,72,336
31	तेलंगाना	4,52,880	1,12,967
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	11,527	2,817
33	त्रिपुरा	1,55,206	18,682
34	उत्तर प्रदेश	23,36,352	3,38,882
35	उत्तराखंड	2,45,439	52,597
36	पश्चिम बंगाल	6,37,623	1,15,711
	कुल	1,57,55,371	24,37,887

* पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत प्लेसमेंट को अलग कर दिया गया है

स्रोत: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत राज्यवार उम्मीदवारों की संख्या (31.10.2024 तक)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	अभ्यर्थियों की नियुक्ति की सूचना*
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	124
2	आंध्र प्रदेश	1,11,640
3	अरुणाचल प्रदेश	14,014
4	असम	67,257
5	बिहार	1,27,855
6	चंडीगढ़	6,361
7	छत्तीसगढ़	28,142
8	दिल्ली	78,349
9	गोवा	1,105
10	गुजरात	69,289
11	हरियाणा	1,58,981
12	हिमाचल प्रदेश	27,185
13	जम्मू और कश्मीर	53,656
14	झारखंड	29,461
15	कर्नाटक	74,225
16	केरल	26,385
17	लद्दाख	1,063
18	मध्य प्रदेश	2,21,845
19	महाराष्ट्र	80,950
20	मणिपुर	16,094
21	मेघालय	13,608
22	मिजोरम	9,682
23	नागालैंड	6,181
24	ओडिशा	71,066
25	पुडुचेरी	10,504
26	पंजाब	1,28,913
27	राजस्थान	1,86,018
28	सिक्किम	3,942
29	तमिलनाडु	1,72,336
30	तेलंगाना	1,12,967
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2,817
32	त्रिपुरा	18,682
33	उत्तर प्रदेश	3,38,882
34	उत्तराखंड	52,597
35	पश्चिम बंगाल	1,15,711
	योग	24,37,887

* पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत प्लेसमेंट को डीलिक कर दिया गया है

स्रोत: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय